संख्या-17/2015/843/क0नि0प्र0/26-3-15-7(102)/2007

प्रेषक,

दीनानाथ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई,2015

विषय:- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-744/लेखा/बजट/2015-16 दिनांक 13जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु रू0 25,00,000.00 (पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

6- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइडलाइन्स तथा वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत- 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0112-उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (के.100/रा.0-के.)-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1/925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

दीनानाथ
अनु सचिव।

संख्या-17/2015/843(1)/क0नि0प्र0/26-3-15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0शासन।
5- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।